न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**800/2026**

गौतम बंसल पुत्र शिवचरण बंसल, निवासी खन्ना रोड निकट कच्ची फाटक कृष्णापुरी चौकी पानीपत, हरियाणा, थाना चांदनी बाग पानीपत, पानीपत, हरियाणा। .....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य .....विपक्षी,

परिवाद सं0 14485 वर्ष 2025
धारा 406 भा0दं0सं0
थाना कांधला, जिला शामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री कुलदीप सिंघल**
राज्य– **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**

दिनांकः– 10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **गौतम बंसल** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी इकबाल की ओर से न्यायालय ए0सी0जे0एम0, कैराना में इस आशय का परिवाद संस्थित किया कि परिवादी इकबाल ट्रेडर्स का प्रोपराईटर है, जिसमें परिवादी कपड़े खरीदकर उनके दोहरे बनाकर बेचने का कार्य करता है। विपक्षी गौतम हैण्डलूम के प्रोपराईटर हैं, जिसमें विपक्षी दोहरे व कपडे खरीदने व बेचने का कार्य करता है। विपक्षी परिवादी को कपड़े आदि बेचते थे तथा परिवादी उस कपडे से दोहरे आदि बनाकर विपक्षी को बेचता था, विपक्षी व परिवादी के बीच सन 2021 से उक्त दोहरे व कपड़े खरीदने व बेचने का व्यापार चला आ रहा था। उक्त व्यापार में विपक्षी पर परिवादी के हिसाब होने के बाद अंकन 2,09,067/रुपए बाकी है, जो विपक्षी पर बतौर अमानत है। परिवादी द्वारा विपक्षी से अपनी बकाया रकम बार बार मांगे जाने के बाद भी आज तक नहीं लौटाए गए हैं और बार बार झूठे आश्वासन देने के बाद रूपए लौटाने से इंकार कर दिया गया है, जबकि उक्त रकम विपक्षी पर परिवादी की बतौर अमानत है। विपक्षी जानबूझकर अमानत में खयानत कर रहा है। परिवादी के उक्त परिवादपत्र पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 108.01.2025 द्वारा अभियुक्त गौतम को धारा 406 भा0दं0सं0 के अपराध में जरिये समन विचारण हेतु तलब किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने बहस तलबी अथवा आदेश तलबी के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने हेतु कभी कोई समन नहीं दिया। उसके द्वारा परिवादी का पूर्ण भुगतान बजरिये चेक संख्या 00107 दिनांक 01.11.2021 व इसके पूर्व अपने खात संख्या 2389131000003004 गौतम हैण्डलूम से दिए गए हैं, खाता की स्टेटमेंड संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त व्यापारी है तथा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की कभी किसी मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर परिवादी के अंकन 2,09,067/रुपए हड़पकर अमानत में खयानत किए जाने का आरोप है। कथित मामला परिवाद पर आधारित है। आरोपित अपराध सात वर्ष से कम कारावास के दण्ड से दण्डनीय तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में आया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गौतम बंसल** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की दशा में आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी/विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मु0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो–दो जमानतें एवं इस आशय का अण्डरटेकिंग कि,

1. अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
2. अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।
3. अभियुक्त दौरान विचारण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और साक्षीगण को भय अथवा किसी प्रलोभन से प्रभावित नहीं करेगा।
4. अभियुक्त नियत तिथि पर अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा और आरोप विरचन एवं धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान अंकित किये जाते समय न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दाखिल करने पर अभियुक्त को मामले के विचारण की अवधि तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

दिनांक 10.06.2026

(प्रभारी)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।